न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 22 / 2022(जी.सी.एम.एस. 2022 / 19)

वादी

1. हरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर।
2. जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कश्मीर कौर पत्नी सरवन सिंह जाति सैनी निवासी मकान नम्बर ई 19, अग्निका सिटी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुरजीत कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति सैनी निवासी मकान नम्बर 04, नजदीक सब्जी मण्डी, गुरुनानक नगर, रसूलपुर तहसील दसूहा जिला होशियारपुर पंजाब।
3. दर्शन कौर पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति सैनी निवासी पिण्ड बसौता पोस्ट ऑफिस झींगड़कला तहसील दसूहा जिला होशियारपुर पंजाब।
4. अमरजीत कौर पत्नी अवतार सिंह जाति सैनी निवासी चक 77 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखविन्द कौर पत्नी अमर सिंह जाति सैनी निवासी चक 77 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. सतवन्त कौर पत्नी मुलवन्त सिंह जाति सैनी निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। मृतक

6/1 मनप्रीत सिंह पुत्र मुलवन्त सिंह जाति सैनी निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6/2 गुरप्रीत सिंह पुत्र मुलवन्त सिंह जाति सैनी निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6/3 नवनीत कौर पत्नी सुमित जाति सैनी निवासी चक 7 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:– 22.02.2022

उपस्थित:1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता वादीगण

2.श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1ता5,6/1ता 6/3

––निर्णय––

दिनांक: 24.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 एक्स के खाता संख्या 62/62 के मु0नं0 5 व मु0नं0 34 की कुल 5.489 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि हम वादीगण की माता/दादी करतार कौर पत्नी बिशन सिंह जाति सैनी निवासी चक 4 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण की माता/दादी करतार कौर द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उक्त भूमि में से तहसील श्रीकरनपुर के चक 4 एक्स के खाता संख्या 62/62 के मु0नं0 5 के किला नं0 1/1 के 0.240 है0, किला नं0 2 ता 9 सालम-सालम, किला नं0 10/1 के 0.240 है0, किला नं0 15/1 के 0.126 है0, किला नं0 15/2 के 0.127 है0, किला नं0 16 के 0.253 है0 कुल 3.010 है0 बारानी भूमि की वसीयत वादी संख्या 2 जितेन्द्रपाल सिंह के हक में एवं तहसील श्रीकरनपुर के चक 4 एक्स के खाता संख्या 62/62 के मु0नं0 34 के किला नं0 16

के 0.228 है0, किला नं0 17 ता 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 25 के 0.227 है0 कुल 2.479 है0 नहरी भूमि की वसीयत वादी संख्या 1 हरजीत सिंह के हक में दिनांक 27.12.2001 को तहरीर व तक्मील करवाई थी। वादीगण की माता/दादी करतार कौर की मृत्यु दिनांक 15.02.2021 को हो चुकी है और उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त वसीयत दिनांक 27.12.2001 कानूनन अस्तित्व में आ चुकी है। जिसकी रूह से वादीगण वसीयत में दर्ज भूमि के खातेदार मालिक हो चुके है और उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6/3 मृतक करतार कौर के जायज वारिसान है, इनके अलावा करतार कौर के अन्य कोई वारिसान नहीं है। इसलिये सभी वारिसान को फरीक मुकदमा बनाया गया है। करतार कौर के जीवनकाल मे उनकी तमाम सेवा संभाल वादीगण द्वारा की जाती थी, जिससे खुशकर होकर करतार कौर द्वारा अपनी समस्त भूमि की वसीयत वादीगण के हक में की थी। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवदेन है कि करतार कौर के नाम दर्ज तहसील श्रीकरनपुर के चक 4 एक्स के खाता संख्या 62/62 के मु0नं0 5 के किला नं0 1/1 के 0.240 है0, किला नं0 2 ता 9 सालम-सालम, किला नं0 10/1 के 0.240 है0, किला नं0 15/1 के 0.126 है0, किला नं0 15/2 के 0.127 है0, किला नं0 16 के 0.253 है0 कुल 3.010 है0 बारानी भूमि वसीयत दिनांक 27.12.2001 की रूह से वादी संख्या 2 जितेन्द्रपाल सिंह के नाम से खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं करतार कौर के नाम दर्ज तहसील श्रीकरनपुर के चक 4 एक्स के खाता संख्या 62/62 के मु0नं0 34 के किला नं0 16 के 0.228 है0, किला नं0 17 ता 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 25 के 0.227 है0 कुल 2.479 है0 नहरी भूमि वसीयत दिनांक 27.12.2001 की रूह से वादी संख्या 1 हरजीत सिंह के नाम से खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 6/1 ता 6/3 की ओर से अधिवक्ता श्री राम दास सोंलकी उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जावे। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। जवाब स्टेट के अनुसार वसीयत का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर का था। परन्तु वादीगण के द्वारा न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर में तथाकथित वसीयत का वाद प्रस्तुत न कर, सीधे ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर में वादपत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(A)आया कि क्या वादीगण वसीयत दिनांक 27.12.2001 के अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?
-जिम्मे वादीगण-

(B)आया कि क्या वसीयत का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर का था?
-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 7 -

(C)अनुतोष।

4. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 वसीयत करतार कौर बहक हरजीत सिंह, जितेन्द्रपाल सिंह दिनांक 27.12.2001 की प्रति, प्रदर्श-1 ए वसीयत करतार कौर बहक हरजीत सिंह, जितेन्द्रपाल सिंह दिनांक 27.12.2001 की प्रति, प्रदर्श-2 करतार कौर के मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्श-3 चक 4 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 की प्रति, स्वंय वादीगण हरजीत सिंह व जितेन्द्रपाल सिंह के साक्ष्य शपथपत्र, पेश किये। जो सामिल पत्रावली है। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता व पैरोकार राज द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी व साक्ष्य स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

5. हमने बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (A) : आया कि क्या वादीगण वसीयत दिनांक 27.12.2001 के अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा करतार कौर द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 27.12.2001 की रूह से खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श-1ए वसीयत दिनांक 27.12.2001 की प्रति में करतार कौर पत्नी बिशन सिंह के द्वारा चक 4 एक्स के मुरब्बा नम्बर 34 के 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपने पुत्र हरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह के पक्ष में व मुरब्बा नम्बर 5 के 11 बीघा 18 बिस्वा अपने पोते जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह के पक्ष में निष्पादित किए गए है। प्रदर्श 2 के अनुसार करतार कौर की मृत्यू दिनांक 15.02.2021 को हो चुकी है। तथाकथित वसीयत नोटरी पब्लिक से प्रमाणित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 6/1 ता 6/3 के द्वारा वादीगण के वादपत्र पर सहमति प्रकट की है। लिहाजा वादीगण वसीयत दिनांक 27.12.2001 की रूह से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि क्या वसीयत का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर का था?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 7 की थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर साक्ष्य पेश नहीं की गई। इसलिए प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 की साक्ष्य बन्द की गई। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपनी तनकी को साबित करने के लिए प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं की गई। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 7 निर्णीत की जाती है।

(C) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादीगण व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 7 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मृतक करतार कौर पत्नी विशन सिंह के नाम दर्ज चक 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/62 के मुरब्बा नम्बर 34 के 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि का हरजीत सिंह पुत्र विशन सिंह को व मुरब्बा नम्बर 5 के 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह को वसीयत दिनांक 27.12.2001 की रूह से खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पर्चा डिक्री एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस माफिक फेसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
हरजीत सिंह आदि बनाम कश्मीर कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 22/2022
निर्णय दिनांक :- 24.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनायिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मृतक करतार कौर पत्नी बिशन सिंह के नाम दर्ज चक 4 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 62/62 के मुरब्बा नम्बर 34 के 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि का हरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह को व मुरब्बा नम्बर 5 के 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि का जितेन्द्रपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह को वसीयत दिनांक 27.12.2001 की रूह से खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 24.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

क्रमांकः रीडर/2024/223 दिनांकः 24.05.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।